


प्रेस नोट दिनांक 29.05.2021
थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा दो अभियुक्तों को गौवंशीय पशु के लगभग 15 किलो मांस व एक तमंचा मय 01 कारतूस जिन्दा व एक अदद नाजायज चाकू के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अवैध रूप से गौवंशीय पशु की घटनाओं को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय बरेली महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली के नेतृत्व में दिनांक 29.05.21 को उ0नि0 श्री रामवीर सिंह द्वारा मय हमराहीयान के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.सुलेमान पुत्र इरशाद अहमद नि0 भूरे खां की गौटिया फरीदपुर थाना फरीदपुर बरेली बताया हाल पता मकान मुश्ताक S/O मौलाना मजीद नि0 ग्राम चन्दपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली 2.तसब्बर पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली को गौवंशीय पशु के लगभग 15 किलो मांस व एक अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर व 01 अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना बिथरी चैनपुर पर मु0अ0सं0 211/21 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट बनाम सुलेमान व तसब्बर उपरोक्त, मु0अ0सं0 212/21 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम सुलेमान उपरोक्त व मु0अ0सं0 213/21 धारा 4/25 एक्ट बनाम तसब्बर उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सुलेमान पुत्र इरशाद अहमद नि0 भूरे खां की गौटिया फरीदपुर थाना फरीदपुर बरेली बताया हाल पता मकान मुश्ताक S/O मौलाना मजीद नि0 ग्राम चन्दपुर थाना बिथरी चैनपुर बरेली ।



2.तसब्बर पुत्र वशीर अहमद निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।



बरामदगी का विवरण:-

- 1.गौवंसीय पशु का 15 किलो मांस (जो मौके पर ही मिट्टी में दबाया गया)
- 2.एक अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर
- 3.एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 रामवीर सिंह
- 2.का0 1966 राहुल कुमार
- 3.का0 1910 अश्वनी कुमार
- 4.का0 2718 पिन्टू कुमार

प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर
जनपद बरेली ।

